न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 858/2025

अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र बलदेव जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. रामधन पुत्र गोपाल जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर 1
2. रेवन्ती देवी उर्फ रेडी पत्नि रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
3. मुखराम पुत्र रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
4. किरसन पुत्र रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
5. राधाकिशन पुत्र रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
6. बलदेव पुत्र रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
7. भरतसिंह पुत्र बलदेव जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
8. अनुसुईया पुत्री स्व. रामनिवास जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
9. पूनम पुत्री रामनिवास जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
10. कमा पत्नि स्व. रामनिवास जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
11. प्रार्वती पुत्री रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
12. पतासी पुत्री रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
13. छोटू पुत्री रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
14. सन्तोष पुत्री रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
16. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

श्री मांगेराम गोदारा **अधिवक्ता प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक: 06/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सिंरगसर तहसील नोहर के खाता सं. 428/405 की कुल तादादी 3.0010 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 401/383 की कुल तादादी 5. 3640 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा ढ़ाणी रायकान तहसील नोहर के खाता सं 289/303 की कुल तादादी 3.7940 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके गोपाल पुत्र जैसाराम जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

वादी के पड़दादा गोपाल पुत्र जैसाराम जाति जाट साकिन सिरगसर तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रोही मौजा सिंरगसर तहसील नोहर के खाता सं. 428/405 की कुल तादादी 3.0010 हैक्टर भूमि हिस्से में आई एवं खाता सं. 401/383 की कुल तादादी 5.3640 हैक्टर भूमि हिस्से में आई एवं रोही मौजा ढ़ाणी रायकान तहसील नोहर के खाता सं 289/303 की कुल तादादी 3.7940 हैक्टर भूमि हिस्से में आई। उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है। रोही मौजा ढ़ाणी रायकान तहसील नोहर के खाता सं 289/303 की कुल तादादी 3.7940 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 ता 7 ब.हि.व. 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 ता 5 प्रत्येक का 1/11 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 8 ता 10 ब.हि.ब. 1/11 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 11 ता 14 प्रत्येक का 1/11 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी स0 2 द्वारा खरीद की गई है अर्थात प्रतिवादी स0 2 की स्वयं अर्जित भूमि है इसलिए प्रतिवादी स0 2 के जीवनकाल में किसी का कोई हक हिस्सा नही है एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि को मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे एवं प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि यथावत रखी जावे।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 14 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। इसलिए प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि को मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे एवं प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि यथावत रखी जावे तो हमे कोई ऐतराज नही है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 401/383 की कुल 5.3640 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 289/303 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के एवं रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 428/405 की कुल 3.0110 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया स0 2 के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी वादी व प्रतिवादीगण का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि को मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावे एवं प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि यथावत रखी जावे।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 401/383 की कुल 5.3640 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 289/303 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 6 ता 7 को बहिब 1/11 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी स0 1 ता 5 प्रत्येक को 1/11 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी स0 8 ता 11 को बहिब 1/11 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी स0 11/14 प्रत्येक को 1/11 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....06/05/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 858 / 2025

अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र बलदेव जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. रामधन पुत्र गोपाल जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर 1
2. रेवन्ती देवी उर्फ रेडी पत्नि रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
3. मुखराम पुत्र रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
4. किरसन पुत्र रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
5. राधाकिशन पुत्र रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
6. बलदेव पुत्र रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
7. भरतसिंह पुत्र बलदेव जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
8. अनुसुईया पुत्री स्व. रामनिवास जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
9. पूनम पुत्री रामनिवास जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
10. कमा पत्नि स्व. रामनिवास जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
11. प्रार्वती पुत्री रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
12. पतासी पुत्री रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
13. छोटू पुत्री रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
14. सन्तोष पुत्री रामधन जाति जाट साकिन सिंरगसर तहसील नोहर
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
16. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 858 सन 2025 निर्णय दिनांक 06/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादी श्री मांगेराम गोदारा तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 401/383 की कुल 5.3640 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 289/303 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 6 ता 7 को बहिब 1/11 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी स0 1 ता 5 प्रत्येक को 1/11 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी स0 8 ता 11 को बहिब 1/11 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी स0 11/14 प्रत्येक को 1/11 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...06/05/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर